न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –16/2017 जिला अलवर

1. सौणा पुत्र रघुनाथ, जाति गूर्जर, निवासी मोरोडी, तहसील बानसूर, जिला अलवर (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1. जगन राम पुत्र भौरा उर्फ भोरिया, जाति गूर्जर
2. भोला पुत्र भौरा उर्फ भोरिया जाति गूर्जर
3. रमेश पुत्र भौरा उर्फ भोरिया जाति गूर्जर,
   निवासीयान मोरोडी तहसील बानसूर, जिला अलवर (राज.)

असल रेस्पोंडेन्ट्स

4. तहसीलदार (भू.अ.) बानसूर जिला अलवर (राज.)

तरतीबीरेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर दिनांक 23.1.2017

उपस्थित–
1. वकील अपीलान्ट श्री अशोक कुमार मुदगल
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री ब्रह्मप्रकाश यादव

निर्णय

दिनांक– 4.1.2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के निर्णय दिनांक 23.1.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम मोरोडी, तहसील बानसूर, जिला अलवर स्थित आराजी खसरा नम्बर 98 रकबा 5.54 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्से के खातेदार रेस्पोंडेन्ट्स 1 से 3 जगनराम, भोलाराम, रमेश चन्द पि. भौरा उर्फ भौंरिया थे । अपीलान्ट संख्या 1 ने एक वाद सोणा राम प्रहलाद धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बानसूर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें उप खण्ड अधिकारी बानसूर ने दिनांक 29.2.2008 को निर्णय/डिक्री पारित कर अपीलान्ट सौणा को विवादित भूमि में से 5 बीघा 10 बिस्वा का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया गया । उप खण्ड अधिकारी बानसूर के उक्त निर्णय/डिक्री की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा नामांतरकरण संख्या 429 सोणा पुत्र रघुनाथ के नाम भरा गया जिसे तहसीलदार बानसूर द्वारा दिनांक 18.6.2015 को स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 429 दिनांक 18.6.2015 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट्स जगन राम वगैहरा द्वारा अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.1.2017 द्वारा स्वीकार की जाकर तहसीलदार बानसूर का आदेश दिनांक 18.6.15 बाबत नामांतरकरण संख्या 429 ग्रम मोरोडी को स्थगित किया जाकर प्रकरण

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

तहसीलदार बानसूर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि उप खण्ड अधिकारी बानसूर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.2.2008 की अपील अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर में विचाराधीन होने का नोट अंकित करें तथा मुताबिक निर्णय विधिसम्मत पुनः निर्णय पारित करें । अति. जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के निर्णय दिनांक 23.1.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट सोणा द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त कर तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 18.6.15 बाबत नामांतरकरण संख्या 429 ग्रम मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर को बहाल रखे जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट ने एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 के अन्तर्गत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बानसूर के समक्ष रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 के पिता व अन्य के खिलाफ प्रस्तुत किया था जो दिनांक 29.2.2008 को अपीलान्ट/वादी के पक्ष में निर्णय/डिक्री किया जाकर अपीलान्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया । उप खण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय/डिक्री की अनुपालना में प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 429 अपीलान्ट के नाम तहसीलदार बानसूर द्वारा दिनांक 18.6.15 को स्वीकृत किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट की अपील अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.1.2017 द्वारा स्वीकार कर नामांतरकरण स्थगित करते हुये प्रकरण तहसीलदार को पुनः प्रेषित किया है । उनका कहना था कि नामांतरकरण अपने आप मे कोई आदेश नहीं होता है जिसकी अपील की जा सके । रेस्पोंडेन्ट ने प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपील अधीनस्थ न्यायालय में पेश की थी, जो अपने आपमें कोई आदेश नहीं था । नामांतरकरण तस्दीक के समय किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं था । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरण न्यायालय के निर्णय/ डिक्री के आधार पर तस्दीक किया गया था वह कानूनन निर्णय/डिक्री के निरस्त होने पर ही निरस्त किया जा सकता है , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों पर कतई गौर नहीं कर अपीलाधीन आदेश से प्रश्नगत नामांतरकरण को निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व प्रश्नगत नामांतरकरण यथावत रखा जावे । अपने कथन के समर्थन में आर.आर.डीर. 2008 पेज 755 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि जिस राजस्व वाद के निर्णय/डिक्री दिनांक 29.2.2008 के अन्तर्गत प्रश्नगत नामांतरकरण तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट के हक में तस्दीक किया गया है उस राजस्व वाद के निर्णय/डिक्री के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट के पिता ने अपील भौरा बनाम सोणा आदि न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष दिनांक 5.5.2008 को प्रस्तुत करदी थी जिसमें आदेश दिनांक 5.5.2008 को पारित कर उप खण्ड अधिकारी बानसूर के निर्णय/डिक्री दिनांक 29.2.2008 का प्रचलन दिनांक 30.5. 2008 तक स्थगित किया गया था जो दिनांक 24.8.2015 तक बदस्तूर जारी था । तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत नामांरकरकरण तस्दीक करने की दिनांक 18.6.15 को उप

खण्ड अधिकारी के निर्णय/डिक्री दिनांक 29.2.2008 के खिलाफ अपील राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन थी तथा प्रकरण सबज्यूडिस था । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरण बिना कब्जे काश्त की जॉच किये व रेस्पोंडेन्ट को बिना सुने एव बिना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये एकपक्षीय तौर पर स्वीकार किया है उनका कहना था कि विवादित आराजी बाबत एक अन्य राजस्व वाद उनवानी रमेश चन्द बनाम जगनराम न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर के समक्ष विचाराधीन है जिसमें विवादित आराजी के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 6.6.15 जारी की गई थी जो दिनांक 16.7.15 तक प्रभावी थी । तहसीलदार द्वारा तस्दीक प्रश्नगत नामांतरकरण न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के नियमों व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । प्रकरण के कानूनी एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने अपीलाधीन दिनांक 23.1.2017 द्वारा रेस्पोंडेन्ट की अपील स्वीकार करते हुये नामांतरकरण को स्थगित किया है तथा उप खण्ड अधिकारी बानसूर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.2.2008 की अपील अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर में विचाराधीन होने का नोट अंकित कर मुताबिक निर्णय विधिसम्मत पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार बानसूर को प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 429 तहसीलदार बानसूर द्वारा दिनांक 18.6.2015 को न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बानसूर के निर्णय/डिक्री दिनांक 29.2.2008 की अनुपालना में अपीलान्ट सोणा के नाम तस्दीक किया था । उप खण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय/डिक्री के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट द्वारा अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजसव अपील अधिकारी अलवर में प्रस्तुत गई । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट जगनराम की अपील न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.1.2017 द्वारा इस आधार पर स्वीकार की जाकर तहसीलदार बानसूर का आदेश दिनांक 18.6.15 बाबत नामांतरकरण संख्या 429 को स्थगित किया गया एवं प्रकरण तहसीलदार बानसूर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि उप खण्ड अधिकारी बानसूर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.2.2008 की अपील अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्वअपील अधिकारी, अलवर में विचाराधीन होने का नोट अंकित करें तथा मुताबिक निर्णय विधिसम्मत पुनः निर्णय पारित करें ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि पक्षकारों के मध्य वाद न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष विचाराधीन हैं जिसमें उनके हक हकूकों का निर्धारण होना है तथा राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के उपरान्त ही निर्णयानुसार नामांतरकरण की कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत होगी तथा इससे पक्षकारों में अनावश्यक मुकमेबाजी भी नहीं बढेगी । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण को स्थगित करते हुये प्रकरण तहसीलदार बानसूर को उप खण्ड अधिकारी बानसूर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.2.2008 की अपील अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्वअपील अधिकारी अलवर में विचाराधीन होने का नोट अंकित करने तथा मुताबिक निर्णय विधिसम्मत पुनः निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार

बानसूर को प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर